न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 02.09.2022

जरिये सूरजभान सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कंर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 30.11.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 06.08.2022 को तहसीलदार देवली बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, देवली के साथ फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर सूरजमल साहू मालिक फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन मौके पर	शुद्ध गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

01	142634	(BPCL)	14.2	15.05	28.1	12.06
02	116503	(BPCL)	14.2	15.09	17.02	1.03
03	111289	(BPCL)	14.2	15.06	17.01	1.05
04.	525902	(BPCL)	14.2	15.08	15.07	.01
						15.5

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक दिनांक 06.08.2022 को तहसीलदार देवली बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, देवली के साथ फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर सूरजमल साहू पुत्र बन्सी लाल साहू निवासी तेलीयान धर्मशाला के सामने बलसोरा भवन वार्ड नम्बर 12 तहसील देवली मालिक फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 15.5Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी अम्बापुरा कॉलोनी दौलता मोड तहसील देवली की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया हैं। उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 15.5Kgएलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 06.08.2022 के अनुसार फर्म श्रीराम स्वीट सदर बाजार देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने मौके पर घरेलू

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गैस सिलेण्डरों को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने का कार्य करने के कारण कुल 4 सिलेण्डर मय लोहे की भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पर्ची तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	142634	(BPCL)	14.2	15.05	28.1	12.06
02	116503	(BPCL)	14.2	15.09	17.02	1.03
03	111289	(BPCL)	**14.2**	15.06	17.01	1.05
04.	525902	(BPCL)	**14.2**	15.08	15.07	.01
						15.5

जांच करने पर दुकान/होटल मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर विजय शकंर,महेन्द्र तथा सूरजमल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी विजय शकंर,महेन्द्र तथा सूरजमल के हस्ताक्षर है। मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 15.5 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested